मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XIX अंक 6 सितंबर 2023

एमसीआईआर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1
II. विनियमन	1-2
III. भुगतान और निपटान प्रणाली	2
IV. सरकार का ऋण प्रबंधक	2-3
V. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	3
VI. वित्तीय समावेशन और विकास	3-4
VII. मुद्रा प्रबंधन	4
VIII. प्रकाशन	4
IX. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा सितंबर 2023 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

वृद्धिशील आरक्षित नकदी निधि अनुपात (आई-सीआरआर): समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने 8 सितंबर 2023 को चरणबद्ध तरीके से आई-सीआरआरआर को बंद कर दिया। वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के अंतर्गत अवशोषित राशि को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा ताकि प्रणाली की चलनिधि को अचानक आघात का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। राशियाँ निम्नानुसार जारी की जाएंगी:

तिथि	जारी की जाने वाली राशि (₹ करोड़)
9 सितंबर 2023	अनुरक्षित आई-सीआरआर का 25 प्रतिशत
23 सितंबर 2023	अनुरक्षित आई-सीआरआर का 25 प्रतिशत
7 अक्तूबर 2023	अनुरक्षित आई-सीआरआर का 50 प्रतिशत

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन (दिशानिर्देश), 2023

रिज़र्व बैंक ने 12 सितंबर 2023 को निवेश पोर्टफोलियो के लिए एक संशोधित विनियामकीय रूपरेखा लागू की। संशोधित रूपरेखा, उचित मूल्य लाभ और हानि के सममित निरूपण की शुरुआत करके, व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) के अंतर्गत एक स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य ट्रेडिंग बुक, एचएफटी के अंतर्गत धारिता अवधि पर 90-दिवसीय सीमा को हटाकर, परिपक्वता तक धारित सीमा को हटाकर और निवेश पोर्टफोलियो पर अधिक विस्तृत प्रकटन कर, वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार विनियामकीय दिशानिर्देशों को अद्यतन करता है। इसके अलावा, सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, संशोधित रूपरेखा संबंधी उदाहरणात्मक मार्गदर्शन तैयार किया गया है और निदेशों के साथ संलग्न किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन) दिशानिर्देश, 2023 में उल्लिखित संशोधित रूपरेखा 1 अप्रैल 2024 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पंजीकरण प्रमाणपत्र

रिज़र्व बैंक ने 12 सितंबर 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द कर दिया है।

इसके अलावा, 12 सितंबर 2023 को आठ एनबीएफसी और एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें दिए गए सीओआर का अभ्यर्पण कर दिया। रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 4 (1) (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्रमशः उनका सीओआर रद्द कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

जिम्मेदार उधार आचरण

रिज़र्व बैंक ने 13 सितंबर 2023 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों और सहकारी बैंकों सहित बैंकों और अन्य ऋणदाताओं को, उधारकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत ऋण की पूर्ण चुकौती या निपटान के 30 दिनों के भीतर सभी मूल चल या अचल संपत्ति दस्तावेजों को मुक्त करने के निदेश जारी किए।

रिज़र्व बैंक ने कहा कि विलंब की स्थिति में, ऋणदाताओं को देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹5,000 का भुगतान करके उधारकर्ताओं को मुआवजा देना होगा। जिम्मेदार ऋण आचरण के हिस्से के रूप में जारी किए गए निदेश उन सभी मामलों पर लागू होंगे जहां मूल संपत्ति दस्तावेजों की मुक्ति 1 दिसंबर 2023 को या उसके बाद होनी है। बैंक ने यह भी कहा कि मूल संपत्ति दस्तावेजों के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति

केंद्रीय बोर्ड की बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 603वीं बैठक 1 सितंबर 2023 को इंदौर में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बोर्ड ने अपनी बैठक में वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक गतिविधियों के प्रभाव सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति तथा संबंधित चुनौतियों की समीक्षा की। बोर्ड ने स्थानीय बोर्डों के कामकाज और चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक के परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी चर्चा की।

उप गवर्नर डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामिनाथन जे.और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक- श्री एस. गुरुमूर्ति, श्रीमती रेवती अय्यर, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, श्री आनंद गोपाल महिंद्रा, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया ने बैठक में भाग लिया। श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और डॉ विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग ने भी बैठक में भाग लिया।

में, या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, ऋणदाता को दस्तावेजों की डुप्लिकेट या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में उधारकर्ता की सहायता करनी होगी और संबंधित लागत वहन करना होगा। यह लागत देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹5,000 के दैनिक मुआवजे के अतिरिक्त होगी। हालाँकि, ऐसे मामलों में, ऋणदाता को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा, और देरी के लिए जुर्माने की गणना उसके बाद, अर्थात कुल 60 दिनों की अवधि के बाद की जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

डेटा गुणवत्ता सूचकांक

रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2023 को साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को वाणिज्यिक और माइक्रोफाइनेंस क्षेत्रों के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) तैयार करने का निदेश दिया। जून 2014 में, रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट संस्थानों (सीआई) द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किए गए डेटा की गुणवत्ता का आकलन करने और समय के साथ उनमें सुधार करने के लिए एक सामान्य डीक्यूआई स्थापित करने के निदेश जारी किए थे।

इसके अलावा, सीआई को मुद्दों पर सुधारात्मक कदम उठाने हेतु सूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सीआई द्वारा मुद्दों पर एक रिपोर्ट उस छमाही के अंत से दो महीने के भीतर समीक्षा के लिए अपने शीर्ष प्रबंधन के समक्ष रखी जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ऊपरी स्तर में एनबीएफ़सी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 सितंबर 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन के अंतर्गत ऊपरी स्तर में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) की सूची की घोषणा की।

यह ढांचा, एनबीएफसी को आधार स्तर (एनबीएफसी-बीएल), मध्य स्तर (एनबीएफसी-एमएल), ऊपरी स्तर (एनबीएफसी-यूएल) और शीर्ष स्तर (एनबीएफसी-टीएल) में वर्गीकृत करता है और यह एनबीएफ़सी की आस्ति के आकार और स्कोरिंग पद्धति के अनुसार ऊपरी स्तर में उनकी पहचान करने की पद्धति निर्धारित करता है। तदनुसार, बैंक ने एनबीएफसी-यूएल के अंतर्गत 15 एनबीएफ़सी को सूचीबद्ध किया है।

इसके अलावा, बैंक ने उल्लेख किया है कि ढांचे के अनुसार, एक बार जब किसी एनबीएफसी को एनबीएफसी-यूएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो यह इस स्तर में इसके वर्गीकरण से कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ी हुई विनियामक अपेक्षाओं के अधीन होगा, भले ही यह अगले वर्ष/ वर्षों में पैरामीट्रिक मानदंडों को पूरा न करता हो। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निरूपण

रिज़र्व बैंक ने 21 सितंबर 2023 को हितधारकों और जनता की टिप्पणियों के लिए इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निरूपण' पर मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया।

मास्टर निदेश का मसौदा, विनियमित संस्थाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार करता है जो उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ताओं के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, इरादतन चूक की परिभाषा को विस्तृत करता है, पहचान प्रक्रिया को परिष्कृत करता है और किसी खाते को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने के छह महीने के भीतर इरादतन चूक संबंधी पहलुओं की समीक्षा कर अंतिम रूप देना अनिवार्य करता है। यह संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेचे गए इरादतन चूक वाले ऋणों का निपटान और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत उनकी स्थिति का भी निपटान करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सूचना का प्रकाशन

रिज़र्व बैंक ने 25 सितंबर 2023 को अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, को निदेश दिया कि वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के अंतर्गत कब्जे में लिया गया है।

इसके अलावा, बैंक ने आरई को सूचित किया कि इस सूचना को वे निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन

रिज़र्व बैंक ने 4 सितंबर 2023 को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के अंतर्गत निदेश जारी किया कि बचत खाते, ओवरड्राफ्ट खाता, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड के अलावा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) प्रणाली में भी लेनदेन के लिए बैंकों द्वारा जारी पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन को शामिल किया जाएगा।

इस सुविधा के अंतर्गत, व्यक्तिगत ग्राहक की पूर्व सहमति से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यक्तियों को जारी पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन के माध्यम से भुगतान, यूपीआई प्रणाली का उपयोग करके लेनदेन के लिए सक्षम किया जाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. सरकार का ऋण प्रबंधक

अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033

रिज़र्व बैंक ने 21 सितंबर 2023 को भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033 (जीओआई एफआरबी 2033) पर 22 सितंबर 2023 से 21 मार्च 2024 की छमाही के लिए लागू ब्याज दर की घोषणा की। घोषणा के अनुसार, जीओआई एफ़आरबी 2033 की ब्याज दर 8.25 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।

उप गवर्नर की पुनः नियुक्ति

केंद्र सरकार ने श्री एम. राजेश्वर राव को 9 अक्तूबर 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया।

जीओआई एफआरबी, 2033 के लिए एक कूपन निर्धारित है, जिसमें 182 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली तीन नीलामियों (दर निर्धारण दिवस अर्थात् 22 सितंबर 2023 से) के भारित औसत प्रतिफल के औसत के बराबर आधार दर के साथ एक नियत स्प्रैड (1.22 प्रतिशत) है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

डब्ल्यूएमए सीमा

रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2023 को भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही (अक्तूबर 2023 से मार्च 2024) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹50,000 करोड़ होगी।

भारत सरकार जब अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी तब बैंक नए बाज़ार ऋणों को जारी कर सकता है। इसके अलावा, बैंक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय, सीमा को संशोधित करने की छूट अपने पास रखता है। डब्ल्यूएमए और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर क्रमशः रेपो दर और रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर

रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2023 को भारत सरकार के परामर्श से और केंद्र सरकार की नकदी स्थिति की समीक्षा करने के बाद, दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को अधिसूचित किया।

इसके अलावा, भारत सरकार के परामर्श से बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाज़ार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाज़ार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों का कैलेंडर

रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2023 को भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही (1 अक्तूबर 2023 से 31 मार्च 2024) के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) सहित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु सांकेतिक कैलेंडर को अधिसूचित किया। अति-दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की बाज़ार मांग को ध्यान में रखते हुए 50-वर्षीय अवधि की एक नई दिनांकित प्रतिभूति शुरू करने का निर्णय लिया गया। कुल अधिसूचित राशि ₹6,55,000 करोड़ है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बाज़ार उधार का कैलेंडर

रिज़र्व बैंक ने 27 सितंबर 2023 को राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि अक्तूबर - दिसंबर 2023 तिमाही के लिए राज्य सरकारों और यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹2,37,263 करोड़ रहने की संभावना है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उप गवर्नर की बैंकों के सीएससी के साथ बैठक

श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर ने 21 सितंबर 2023 को मुंबई में प्रमुख बैंकों के बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के प्रमुखों, प्रबंध निदेशकों, कार्यपालक निदेशकों, ग्राहक सेवा क्षेत्रों के प्रभारी और प्रधान नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की।

उप गवर्नर ने अपने मुख्य भाषण में, वित्तीय प्रणाली में भरोसा और विश्वास को बढ़ावा देने में ग्राहक सेवा द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए इस बात पर जोर दिया कि शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड की ग्राहक सेवा समितियों का ध्यान बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों के विश्वास को जारी रखने के लिए ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने पर होना चाहिए। उप गवर्नर ने विनियमित संस्थाओं द्वारा ध्यान केंद्रित करने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला- i) ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता, ii) शिकायतों के मूल कारण का निपटान करना, iii) संपर्क के प्रथम बिंदु पर समाधान का महत्व, iv) फ्रंट-लाइन कर्मचारियों को प्राधिकारी, उपकरणों और प्रशिक्षण से लैस करने सहित शिकायतों का दायित्वपूर्ण प्रबंधन और v) साइबर अपराध का निपटान। उन्होंने निरंतर सुधार की संस्कृति विकसित करने के महत्व पर भी जोर दिया क्योंकि ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक यात्रा है न कि गंतव्य। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. वित्तीय समावेशन और विकास

स्थायी सलाहकार समिति की बैठक

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण के प्रवाह की समीक्षा करने के लिए स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) की 28वीं बैठक 29 सितंबर 2023 को लखनऊ में श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एमएसएमई मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियो; अध्यक्ष, सिडबी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रमुख बैंकों और नाबार्ड के वरिष्ठ प्रबंधन, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारतीय बैंक संघ और एमएसएमई संघों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

उप गवर्नर ने अपने मुख्य भाषण में, विशेषकर 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य के संदर्भ में, एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने एमएसएमई की पूर्ण क्षमता को अनलॉक करने के लिए सभी हितधारकों की ओर से सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उप गवर्नर ने अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क, बाधा रहित ऋण वितरण को सक्षम करने के लिए डिजिटल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म और एमएसएमई ऋण पर विनियामक सैंडबॉक्स जैसे रिज़र्व बैंक के विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने एमएसएमई के बीच सूचना प्रसार और क्षमता संवर्धन में उद्योग संघों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय क्विज

रिज़र्व बैंक ने एक अनूठी पहल के रूप में, देश भर के सरकारी और नगरपालिका स्कूलों के VIII, IX और X कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता पर एक अखिल भारतीय क्विज आयोजित किया। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में ब्लॉक स्तरों पर बहु-स्तरीय क्विज शुरू किया गया था। विजेता टीमों ने जिला और राज्य स्तरों पर प्रतिस्पर्धा की और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की विजेता टीमों ने अलग-अलग तिथियों पर चंडीगढ़, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी में आयोजित छह क्षेत्रीय राउंड में भाग लिया।

क्विज़ का राष्ट्रीय फाइनल 14 सितंबर 2023 को मुंबई में आयोजित किया गया। क्षेत्रीय राउंड के विजेताओं ने फाइनल में भाग लिया। डॉ. भीम राव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, नई दिल्ली के श्री अमन गुप्ता और श्री उत्कर्ष सुधाकर विजेता बने। कार्यपालक निदेशकों श्री रोहित जैन और श्री नीरज निगम ने विजेताओं और भाग लेने वाली टीमों को सम्मानित किया। क्विज़ में देश भर के 51,694 स्कूलों के 1,03,388 छात्रों ने भाग लिया। इसने वित्तीय साक्षरता और जागरूकता क्षेत्र में सरकारी और नगरपालिका स्कूलों के छात्रों के बीच अत्यंत उत्साह उत्पन्न किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

वित्तीय समावेशन सूचकांक

रिज़र्व बैंक ने 15 सितंबर 2023 को मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित किया। मार्च 2022 में 56.4 की तुलना में मार्च 2023 के लिए एफआई-सूचकांक 60.1 रहा, जिसमें सभी उप-सूचकांकों में संवृद्धि देखी गई है। एफआई सूचकांक में सुधार मुख्य रूप से उपयोग और गुणवत्ता आयामों के योगदान से था, जो वित्तीय समावेशन की प्रगाढ़ता को दर्शाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. मुद्रा प्रबंधन

₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोट

रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2023 को ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने के संबंध में आंकड़े प्रकाशित किए। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 मई 2023 को संचलन में मौजूद ₹3.56 लाख करोड़ मूल्य के ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों में से ₹3.42 लाख करोड़ वापस प्राप्त कर लिए गए और 29 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति पर केवल ₹0.14 लाख करोड़ संचलन में रह गए। इस प्रकार 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों में से 96 प्रतिशत वापस आ गए।

इसके अलावा, बैंक ने ₹2000 बैंकनोटों को जमा करने/ बदलने की वर्तमान व्यवस्था को 7 अक्तूबर 2023 तक बढ़ा दिया। दिनांक 8 अक्तूबर 2023 से ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को जमा करने या बदलने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

i) बैंकों की शाखाओं द्वारा इन बैंकनोटों को जमा करना/ बदलना बंद कर दिया जाएगा,

ii) ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा एक समय पर ₹20,000/- राशि तक बदलने की सुविधा रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में जारी रहेगी,

iii) व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को (किसी भी राशि के लिए) भारत में उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में प्रस्तुत किया जा सकता है,

iv) भारत में किसी भी स्थान से व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा भारतीय डाक के माध्यम से भी ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को रिज़र्व बैंक के 19 में से किसी भी निर्गम कार्यालय के पते पर उनके बैंक खाते में जमा करने के लिए भेजा जा सकता है,

v) ऐसे विनिमय अथवा जमा, रिज़र्व बैंक/ सरकार के संगत विनियमों, वैध पहचान पत्र दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और रिज़र्व बैंक द्वारा मान्य कार्य प्रणाली के अंतर्गत किए जाएंगे, और

vi) कोर्ट, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभागों या कोई अन्य लोक प्राधिकरण, जो जांच कार्यवाहियों या प्रवर्तन में शामिल हों, अपनी आवश्यकतानुसार, ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी, बिना किसी सीमा के जमा कर सकते/ बदल सकते हैं।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. प्रकाशन

भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 सितंबर 2023 को "भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका, 2022-23" शीर्षक से अपना वार्षिक प्रकाशन जारी किया। यह प्रकाशन, शृंखला में 25वां, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मुख्य आर्थिक और वित्तीय संकेतकों पर समय शृंखला डाटा प्रसारित करता है। हैंडबुक की वर्तमान मात्रा में 240 सांख्यिकीय तालिकाएँ हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 18 सितंबर 2023 को अपने मासिक बुलेटिन का सितंबर 2023 अंक जारी किया। बुलेटिन में छः भाषण, पांच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

पांच आलेख हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति;

ii) भारतीय राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन प्रणाली अपनाने की राजकोषीय लागत - एक आकलन;

iii) एनबीएफसी क्षेत्र के नवीनतम कार्य-निष्पादन का विश्लेषण;

iv) मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति-प्रत्याशाएं: एक विस्तृत मापन;

v) भारत में निजी खपत के कारक: एक समग्र प्रतिदर्शात्मक दृष्टिकोण।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. जारी आंकड़े

सितंबर 2023 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	आंकड़े
1	भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), जून 2023
2	जून 2023 के अंत में भारत का बाह्य ऋण
3	अप्रैल-जून 2023 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत
4	2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की गतिविधियां
5	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – सितंबर 2023
6	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – अगस्त 2023

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।